फर्द अहकाम

बनाम

नाम न्यायालय

केस संख्या

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से
	29/1/24	पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता प्रार्थी/वादी उपस्थित। तहसीलदार सांगानेर की जवाब [illegible] पत्रावली वास्ते जवाब तहसीलदार सांगानेर दिनांक 20.2.24 को पेश हो। उप खण्ड अधिकारी जयपुर (द्वितीय)
	20/2/24	पत्रावली पेश हुई। [illegible] साहब अन्य [illegible] पत्र [illegible] अनुसार [illegible] 19/3/24 को पेश हो।
	19/3/24	पत्रावली [illegible] हुई। पी0ओ0 साहब [illegible] में व्यस्त हैं। अतः [illegible] अनुसार दिनांक 23/4/24 [illegible] को पेश हो।
	23/5/24	पत्रावली पेश हुई। पी0ओ0 साहब [illegible] अनुसार दिनांक 29/5/24 को पेश हो।
	29/5/24	पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता [illegible] प्रार्थी/वादी ने [illegible] प्रार्थना पत्र [illegible] 138 [illegible] प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर [illegible] पत्रावली नियमानुसार पत्रावली [illegible] दाखिल दफ्तर हो। उपखण्ड अधिकारी जयपुर द्वितीय (सांगानेर)

Signature N
Digitally signe
Date: 2024.07
Reason: SelfA

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, जयपुर–द्वितीय(सांगानेर)जयपुर

पीठासीन अधिकारी का नाम : हिम्मत सिंह, आर.ए.एस.
प्रार्थना पत्र संख्या :75/2023
निर्णय दिनांक :29.04.2024

1. गोपाल लाल शर्मा पुत्र स्वर्गीय बाबूलाल शर्मा उर्फ कालू जाति ब्राम्हण, निवासी ग्राम बगरु खुर्द, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर, हाल निवासी ई–122 निर्माण नगर, विश्वास पथ, अजमेर रोड, जयपुर, राजस्थान ।

– प्रार्थी

बनाम

2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर। (लैन्ड होल्डर)

अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू–राजस्व

प्रार्थी की ओर से पेश प्रार्थना पत्र का विवरण इस प्रकार है कि स्वर्गीय बाबूलाल शर्मा उर्फ कालू पुत्र स्वर्गीय बालचन्द जाति ब्राम्हण ग्राम बगरु खुर्द, ग्राम पंचायत भम्भोरिया, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर के मूल निवासी थे तथा प्लॉट संख्या ई–122 निर्माण नगर, अजमेर रोड जयपुर पर उनका दिनांक 18–05–2018 को स्वर्गवास हो गया। स्वर्गीय बाबूलाल शर्मा उर्फ कालू पुत्र स्वर्गीय बालचन्द जीवन पर्यन्त प्रार्थी के साथ रहे और प्रार्थी ने ही उनके देहाब्स के पश्चात उनके अन्तिम कियाकर्म आदि किये। प्रार्थी उक्त बाबूलाल शर्मा उर्फ कालू पुत्र स्वर्गीय बालचन्द के एक मात्र वारिस हैं। प्रार्थी की माता श्रीमति राधा देवी का देहान्त दिनांक 03–03–2011 को प्रार्थी के पिता के देहान्त से पूर्व हो गया था। प्रार्थी के पिता की एक खातेदारी भूमि राजस्व ग्राम बगरु खुर्द पटवार हल्दा भम्भोरिया, भू–अभिलेख निरीक्षक कार्यालय ठीकरिया, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर में स्थित है, जिसका खाता संख्या 9 है तथा खसरा नम्बर 529/958 रकबा 0.040 हैक्टेयर है। उक्त जमाबन्दी में प्रार्थी के पिता का नाम कालू पुत्र बालू दर्ज है, जब कि उनको कालू उर्फ बाबूलाल शर्मा के नाम से भी जानते थे। प्रार्थी ने उक्त आराजी का विरासत का नामान्तरण खुलवाने हेतु प्रार्थना पत्र उप तहसीलदार भू–अभिलेख बगरु के [illegible] किया, जिस पर सम्बन्धित पंचायत व पटवारी द्वारा वारिसान की जांच [illegible] के पश्चात प्रार्थी के स्वर्गीय पिता का विरासत का नामान्तरण प्रार्थी के हक में नहीं खोला गया इसलिये यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक हुआ । राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम की धारा 136 में रैवेन्यू रिकार्ड में दुरुस्ती के अधिकार दिये गये हैं। प्रार्थी के पिता को दो नाम से जानते थे और खातेदारी में कालू उर्फ बाबूलाल शर्मा पुत्र बालू एक ही व्यक्ति है इसलिये राजस्व रिकार्ड में दुरुस्ती किया जाना न्यायोचित

Signature Not Verified
Digitally signed by Himmat Singh
Date: 2024.07.23 10:44:07 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
जयपुर द्वितीय (सांगानेर)

है। धारा 136 भू–राजस्व अधिनियम में यह प्रावधान है कि अगर क्लेरिकल एरर राजस्व रिकार्ड में अंकित हो गया है तो उसे सम्बन्धित पक्षकारों को नोटिस देकर दुरुस्त किया जा सकता है, इसलिये प्रार्थी के पिताजी के नाम स्वर्गीय बाबूलाल शर्मा उर्फ कालू पुत्र बालचन्द राजस्व रिकार्ड में अंकित किया जाना न्यायोचित है, जिससे प्रार्थी के हक में विरासत का नामान्तरण भरा जा सके। प्रार्थी की ओर से पूर्व में इस तरह का कोई प्रार्थना पत्र किसी भी न्यायालय या राजस्व अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया गया है, इसलिये श्रीमान न्यायालय को उक्त प्रार्थना पत्र को श्रवण व निर्णीत करने का क्षेत्राधिकार प्राप्त है।

अतः प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र बाबत दुरुस्ती नाम स्वीकार फरमाया जाकर राजस्व रिकार्ड में बाबूलाल शर्मा उर्फ कालू पुत्र स्वर्गीय बालचन्द दुरुस्त किये जाने के आदेश प्रदान करने की कृपा करें।

प्रार्थना पत्र दर्ज किया जाकर अप्रार्थी को रजिस्टर नोटिस जारी किये गये। अप्रार्थी संख्या 1 की ओर से कोई भी उपस्थित नही होने पर बहस प्रार्थी प्रार्थना पत्र पर सुनी गई दौराने बहस प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दौहराया एवं अंत में निवेदन किया कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र बाबत दुरुस्ती नाम स्वीकार फरमाया जाकर राजस्व रिकार्ड में बाबूलाल शर्मा उर्फ कालू पुत्र स्वर्गीय बालचन्द दुरुस्त किये जाने के आदेश प्रदान करने की कृपा करें।

बहस प्रार्थी अधिवक्ता एवं प्रार्थना पत्र का अवलोकन कराने पर प्रार्थी की ओर से पेश प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू–राजस्व अधिनियम स्वीकार किया जाता है तहसीलदार सांगानेर को आदेशित किया जाता है कि राजस्व ग्राम बगरु खुर्द पटवार हल्का भम्भोरिया, भू–अभिलेख निरीक्षक कार्यालय ठीकरिया, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर में स्थित खाता संख्या 9 के खसरा नम्बर 529/958 रकबा 0.040 हैक्टेयर में प्रार्थी के पिता का नाम राजस्व रिकार्ड में कालू पुत्र बालू के स्थान पर स्व0 बाबूलाल शर्मा उर्फ कालू पुत्र स्वर्गीय बालचन्द अमल दरामद किया जावे। आदेश की पालना हेतु तहसीलदार सांगानेर को तहरीर जारी हो। पत्रावली फैसल शुदा होने से नियमानुसार दर्ज रजिस्टर होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 29.04.2024 को सरे इजलास सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Himmat Singh
Date: 2024.07.23 10:44:07 IST
Reason: SelfAttested

(हिम्मत सिंह)
उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट
जयपुर–द्वितीय, (सांगानेर)
.जयपुर

उपखण्ड अधिकारी
जयपुर द्वितीय (सांगानेर)